न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

नामः पीठासीन अधिकारीः– श्री रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः–03/2017
जी सी एम एस न. 2017/00547

दर्ज दिनांक 04.01.2017
निर्णय दिनांक 02.02.2022

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

प्रार्थी

बनाम

1. सुशीला पत्नी स्व. महावीर जाति मेघवंशी निवासी धमोरा
2. धारा सिह पि0 महावीर जाति मेघवंशी निवासी धमोरा
3. अशोक पि0 महावीर जाति मेघवंशी निवासी धमोरा
4. प्रियंका पि0 महावीर जाति मेघवंशी निवासी धमोरा
5. मनीषा पि0 महावीर जाति मेघवंशी निवासी धमोरा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0का0अधि0 1955

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0का0अधि0 1955 का मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम टोडी पटवार हल्का दुड़िया में भूमि ख0न0 2412/618 रकबा 0.10 है0, किस्म बारानी 3 भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खातेदारो द्वारा ग्राम टोडी पटवार हल्का दुड़िया में भूमि ख0न0 2412/618 रकबा 0.10 है0, किस्म बारानी 3 में बिना संपरिवर्तन अवैध कॉलोनी बनाकर अतिक्रमण, जो बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एंव स्वीकृति से किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि कार्यो के लिए राज्य सरकार द्वारा अप्रार्थीगण को दी गई थी । राज्य सरकार एवं अप्रार्थीगण के मध्य उक्त भूमि को कृषि प्रयोजनो हेतु उपयोग लेने की प्रयुक्त संविदा(applied contract) को खातेदारो ने भंग कर उक्त भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर कृषि भूमि को नुकसान कारित किया है। ग्राम टोडी पटवार हल्का दुड़िया में भूमि ख0न0 2412/618 रकबा 0.10 है0, किस्म बारानी 3 भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जवाबदेही की गई। अप्रार्थीगण न0 1 लगायत 5 बावजूद तामिल हाजीर नही अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

बहस प्रार्थना पत्र पर श्रवण की गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण ने ग्राम टोडी पटवार हल्का दुड़िया में भूमि ख0न0 2412/618 रकबा 0.10 है0, किस्म बारानी 3 में बिना संपरिवर्तन अवैध कॉलोनी बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा । कृषि कार्य की बजाय अकृर्षि कार्य किया जा रहा है उक्त कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर कृषि भूमि को नुकसान कारित किया है। अन्त में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

पत्रावली पर ध्यानपूर्वक अलोकन किया गया तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी से मौका रिपोर्ट तलब कि गई । रिपोर्ट के अनुसार भूमि खसरा न0 2412/618 रकबा, 0.10 है0, किस्म बारानी 3 में मौके पर घनी आबादी बसी हुई है उक्त खसरा नम्बर में से तीन चौथाई हिस्से में दुकाने बनी हुई तथा भूमि को मौके पर कृषि भूमि से अकृषि भूमि बदल दी गई है। जिससे भूमि कृषि योग्य नही रही है। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर कृषि भूमि को नुकसान कारित किया है व राज्य सरकार व अप्रार्थी के मध्य उक्त भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग लेने की प्रयुक्त संविदा को खातेदार ने भंग किया है। वर्तमान में उक्त भूमि कृषि योग्य नही रही है इस कारण उक्त भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाना तथा उनकी खातेदारी समाप्त कर भूमि सिवायचक (राजकीय भूमि) घोषित किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:16:42 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा0का0अधि0 1955 का स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम टोडी पटवार हल्का दुड़िया में भूमि ख0न0 2412/618 रकबा 0.10 है0, किस्म बारानी 3 भूमि से अप्रार्थीगण की खातेदारी समाप्त कर भूमि को सिवायचक (राजकीय भूमि) घोषित किया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी उक्त वर्णित भूमि में से अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा राज लेवे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 02.02.2022 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर में सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:16:42 IST
Reason: SelfAttested